भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1825
17 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

बस्तर क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में सी.एस.एस.

1825 श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा गत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र को लेकर इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख) सातवीं और बारहवीं अनुसूचियों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 243ब के उपबंधों के अनुसार, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपने विभिन्न प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0), प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0), स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (एसबीएम - यू 2.0), प्रधान मंत्री पथ-विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), शहरी परिवहन (यूटी) आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके शहरी विकास एजेंडे में सहायता प्रदान करता है।

इन मिशनों/योजनाओं के माध्यम से, केंद्र सरकार राज्य योजनाओं को अनुमोदन देती है और राज्यों को केंद्रीय सहायता (सीए) प्रदान करती है। इन परियोजनाओं का चयन, डिजाइन, अनुमोदन और क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें शहरों/जिलों को निधियां जारी करती हैं।

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न मिशनों/योजनाओं के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के लिए स्वीकृत परियोजनाओं और आवंटित निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

अमृत और अमृत 2.0 : आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अमृत को कार्यान्वित कर रहा है, जिसे 25 जून 2015 को देश भर के चयनित 500 शहरों (अब 15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में शुरू किया गया था। अमृत 2.0 को परियोजनाओं के लिए 66,750 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता (सीए) के साथ 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था । इस योजना के तहत, मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परियोजनाओं को डिजाइन करने, अनुमोदित करने, प्राथमिकता देने और कार्यान्वित करने का अधिकार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) की सिफारिश के अनुसार अमृत 2.0 के तहत राज्य जल कार्य योजनाओं (एसडब्ल्यूएपी) और राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) को अनुमोदन देता है।

अमृत के तहत बस्तर क्षेत्र में 191.41 करोड़ रु. की लागत की 39 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 144.75 करोड़ रु. के कार्य भौतिक रूप से पूरे किए जा चुके हैं। इसके अलावा अमृत 2.0 के तहत अब तक 370.71 करोड़ रु. की लागत की 09 परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है।

अमृत और अमृत 2.0 के अंतर्गत निधियां राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित/जारी की जाती हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इन परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर अपने संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को निधियां जारी करते हैं।

छत्तीसगढ़ में परियोजनाओं के लिए 1,009.74 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध केन्द्रीय सहायता (सीए) में से 969.12 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जबकि अमृत 2.0 के अंतर्गत 1,303 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध केन्द्रीय सहायता (सीए) में से 152.52 करोड़ रुपये स्वीकृत/जारी किए जा चुके हैं।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 : देश भर में सभी पात्र लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25.06.2015 से पीएमएवाई -यू 'सभी के लिए आवास' मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। पीएमएवाई- यू के तहत बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भौतिक और वित्तीय प्रगति इस प्रकार है:

विवरण	बस्तर क्षेत्र
स्वीकृत आवास (संख्या)	8842
निर्माणाधीन आवास (संख्या)*	8174
निर्मित आवास (संख्या)*	11803
स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	137.53
जारी केंद्रीय सहायता * * (करोड़ रुपए में)	178.32

इन आंकड़ो में इस वर्ष के दौरान निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए वे आवास शामिल हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में स्वीकृत किए गए थे।
**इन आंकड़ों में इस वर्ष जारी की गई वह केंद्रीय सहायता शामिल है, जो पूर्ववर्ती वर्षों की स्वीकृतियों से संबंधित है।

एसबीएम-यू और एसबीएम-यू 2.0 : इस मिशन को छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र सहित देश के सभी शहरी क्षेत्रों में एकसमान रूप से कार्यान्वित किया गया है। इसके अलावा, एसबीएम-यू के तहत निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूरी मिशन अवधि के लिए आवंटित की जाती हैं, न कि वार्षिक आधार पर।

पीएम स्वनिधि : पथ-विक्रेताओं को जमानत-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने केंद्रीय योजना के रूप में पीएम स्वनिधि की शुरुआत 01 जून, 2020 को की थी। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक बस्तर क्षेत्र में 6,122 से अधिक पथ-विक्रेताओं को 1,423.89 लाख रु. की राशि के 9,253 ऋण संवितरित किए जा चुके हैं।

डीएवाई- एनयूएलएम : जिला/क्षेत्रवार विवरण उपलब्ध नहीं हैं। हालाँकि, पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य को केंद्रीय अंश के रूप में 46.73 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

****